

समाहर्ता-सह-जिला निबंधक का कार्यालय, बेगूसराय

जिला बेबसाईट ([http:// begusarai.bih.nic.in](http://begusarai.bih.nic.in)) पर प्रकाशन हेतु विज्ञप्ति

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्न सूची कॉलम 03 में अंकित क्रेता के पक्ष में कॉलम 02 में अंकित विक्रेता द्वारा दस्तावेज निष्पादित किया गया। उपस्थापित दस्तावेज बाजार मूल्य से कम पाये गये। तत्पश्चात् भारतीय मुद्रांक अधिनियम 1899 कर धारा 47(क) के अधीन सभी दस्तावेजों को सहायक निबंधन महानिरीक्षक, मुंगेर प्रमण्डल, मुंगेर को कमी कुद्रांक शुल्क वसूली हेतु विप्रेषित कर दिया गया। कॉलम 04 में अंकित वाद में सहायक निबंधन महानिरीक्षक द्वारा आदेश पारित किया जा चुका है। उक्त आलोक में संबंधित पक्षकारों को कमी मुद्रांक शुल्क जमा करने हेतु अंतिम नोटिश दस्तावेज में अंकित पते पर निबंधित डाक से भेजा गया, लेकिन संबंधित पक्षकारों द्वारा शुल्कादि जमा नहीं किया गया है।

अतः कॉलम 03 में अंकित पक्षकार प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के अंदर वांछित शुल्कादि जमा कर दें अन्यथा लोक मॉग वसूली(पी.डी.आर. एक्ट) के अधीन वसूली की कारवाई की जायगी।

अवर निबंधन कार्यालय, तेघड़ा की सूची

क्रम सं०	विक्रेता का नाम	क्रेता का नाम एवं पता	वाद संख्या एवं वर्ष	कमी मुद्रांक शुल्क (अर्थदंड सहित)	कमी निबंधन शुल्क (सलामी एवं तलवाना शुल्क सहित)	5% मासिक ब्याज की कुल राशि (विलंबित माह सितंबर 2018 तक)	कुल राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	खातून निशाँ	मो० फुरकान, पे० स्व० शेख उसमान, साकिन भगवानपुर सिकंदरपुर चक्की, थाना तेघड़ा, जिला बेगूसराय	34/2012	6600	2450	18150	27200
2	श्री रामसागर राय	श्री अमरजीत राय, पे० लखन चंद राय, साकिन विशानपुर, थाना भगवानपुर, जिला बेगूसराय	66/2012	47040	15680	124656	187376
3	श्री नारायण प्रसाद दास	श्री रामबाबू यादव, पे० स्व० रामप्रताप यादव, साकिन शोकहारा, थाना फुलवड़िया, जिला बेगूसराय	69/2012	31200	10400	78000	119600
4	श्रीमती सिरोमनी देवी	श्रीमती रीता देवी, पति श्री नगीना पांडे, साकिन दनियालपुर गौड़ा, थाना तेघड़ा	297/2012	8184	2880	20534	31598

9/1/19
जिला अवर निबंधक,
बेगूसराय